संख्या-331/2017/197/22-2-2017-17(492)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ :दिनांक 28 अप्रैल, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरमन सिंह पुत्र श्री गीतम सिंह निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरमन सिंह पुत्र श्री गीतम सिंह, निवासी-परोख, थाना-दन्नाहार, जनपद-मैनपुरी का रहने वाला है। दिनांक 06/07.09.1985 को बन्दी द्वारा अपने बच्चे की हत्या के शक में प्रतिशोधवश मूसल से चन्द्रपाल सिंह की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-27/1986 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 28.07.1988 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.2016 तक 29 वर्ष 10 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 39 वर्ष 03 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 06/07.09.1985 को अपने बच्चे की हत्या के शक में प्रतिशोध वश मूसल से चन्द्रपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की उम्र 52 वर्ष लगभग होने, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 06.06.1997 को मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित किया गया। मानसिक रोग के उपचारोपरान्त बन्दी दिनांक 27.07.2006 को कारागार में दाखिल हुआ। अपील लम्बित होने के सम्बन्ध में बन्दी द्वारा न बता पाने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद बना रहने, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सरमन सिंह पुत्र श्री गीतम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सरमन सिंह (बन्दी संख्या-20401) श्री गीतम सिंह निवासी जनपद-मैनपुरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-331/2017/197(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-331/2017/197/22-2-2017-17(492)/2009

दिनांक 28 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरमन सिंह पुत्र श्री गीतम सिंह, निवासी-परोख, थाना-दन्नाहार, जनपद-मैनपुरी का रहने वाला है। दिनांक 06/07.09.1985 को बन्दी द्वारा अपने बच्चे की हत्या के शक में प्रतिशोधवश मूसल से चन्द्रपाल सिंह की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-27/1986 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 28.07.1988 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.2016 तक 29 वर्ष 10 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 39 वर्ष 03 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 06/07.09.1985 को अपने बच्चे की हत्या के शक में प्रतिशोध वश मूसल से चन्द्रपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की उम्र 52 वर्ष लगभग होने, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 06.06.1997 को मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित किया गया। मानसिक रोग के उपचारोपरान्त बन्दी दिनांक 27.07.2006 को कारागार में दाखिल हुआ। अपील लम्बित होने के सम्बन्ध में बन्दी द्वारा न बता पाने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद बना रहने, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सरमन सिंह पुत्र श्री गीतम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।